पत्रांक–1प्रा0आ0–16/2015.......1544..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 29/4/15

विषय– **दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटको के फलस्वरूप पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों में रहनेवाले परिवारों के बीच मुफ्त साहाय्य के वितरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटकों के फलस्वरूप जिन परिवारों के कच्चे/पक्के मकान पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गए हैं अथवा जिनकी झोपड़ियाँ बर्बाद/क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उन्हें मुफ्त साहाय्य का वितरण अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के अनुरूप किया जाए। साथ ही पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए गृह क्षति अनुदान के वितरण में व्यय होने वाले राशि की गणना कर अधियाचना शीघ्र भेजी जाए।

विदित हो कि नये मानदर के अनुसार पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों के लिए अनुदान की **दर रूपये 95,100/– तथा बर्बाद झोपड़ियों के लिए 4100/– रूपये है। यदि Cattle shed बर्बाद हो गए हों तो 2100/– अनुदान देय होगा। इसी प्रकार मुफ्त साहाय्य के रूप में बर्त्तन के लिए 2000/– रूपये, वस्त्र के लिए 1800/– रूपये, नगद अनुदान 2000/– रूपये तथा 1 क्वीं0 खाद्यान्न** प्रति परिवार देय है।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में मुफ्त साहाय्य (**GRATUITOUS RELIEF**) का **वितरण अविलंब प्रारम्भ करते** हुए एवं पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए राशि की अधियाचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 29/4/15

(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

समाहरणालय मधेपुरा
आपदा प्रबंधन शाखा
ज्ञापांक 157 दिनांक 30.4.15

प्रतिलिपि:– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/4/15
प्रभारी पदाधिकारी

Pc 3 (2015) Earthquake All dist Severely Damaged (25.4.15)